न्यायालय :: न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – नवीन यादव, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या– 355/2021
सी.आई.एस. सं. 801/2021

राजस्थान–राज्य
बनाम
वनू देवी व अन्य

उपस्थितः–
1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2– श्री दिलीप कुमार विश्नोई – विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 341 व 323/34 भारतीय दंड संहिता ::

–:: भाग प्रथम ::–

A

परिवादी	लाछी देवी
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. वनु देवी पत्नी पीराराम, 2. सरोज पुत्री पीराराम, 3. दिव्या पुत्री पीराराम, निवासीगण वेडिया, पीएस सरवाना, जिला जालोर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री दिलीप कुमार विश्नोई

B

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	19.11.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22.11.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	18.11.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	सरोज – 02.06.2025 शेष अभियुक्तगण – 24.04.2025
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	14.10.2025
निर्णय की तिथि	29.06.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	––

C

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की	अभियुक्त के आरोप का	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दंड का विवरण य	धारा–428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य

			तिथि	विवरण		दि कोई हो तो	में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	वनु देवी	——	——	498ए, 341 व 323/34 भादस	——	——	——
02.	सरोज	——	——	498ए, 341 व 323/34 भादस	——	——	——
03.	दिव्या	——	——	498ए, 341 व 323/34 भादस	——	——	——

—:: भाग द्वितीय ::—

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::—

अ. अभियोजन गवाहान

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	लाछी देवी	शिकायतकर्ता
पीडब्ल्यू 2	ओमप्रकाश	मौतबीर नक्शा मौका व चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू 3	धनाराम	पड़ोसी व स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू 4	भीयाराम	मौतबीर नक्शा मौका का गवाह
पीडब्ल्यू 5	ठाकराराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 6	गोरखाराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 7	मुदिर खां	पड़ोसी व स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू 8	रेहमद खां	पड़ोसी व स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू 9	हुकमाराम	चश्मदीद व स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू 10	इस्माइल खां	चश्मदीद व स्वतंत्र गवाह

ब. बचाव गवाह

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकार
——	——	——

स. न्यायालय गवाह

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकार
——	——	——

WEB COPY NOT OFFICIAL

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

अ. अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	घटना की रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 3	गवाह लाछी देवी के पुलिस बयान
4.	प्रदर्श पी 4	गवाह लाछी देवी का चोट प्रतिवेदन
5.	प्रदर्श पी 5	गवाह ओमप्रकाश का पुलिस बयान
6.	प्रदर्श पी 6	गवाह धनाराम के पुलिस बयान
7.	प्रदर्श पी 7	गवाह भीयाराम का पुलिस बयान
8.	प्रदर्श पी 8	गवाह ठाकराराम का पुलिस बयान
9.	प्रदर्श पी 9	गवाह गोरखाराम का पुलिस बयान
10.	प्रदर्श पी 10	गवाह मुदिर खां का पुलिस बयान
11.	प्रदर्श पी 11	गवाह रेहमद का पुलिस बयान
12.	प्रदर्श पी 12	गवाह हुकमाराम का पुलिस बयान
13.	प्रदर्श पी 13	गवाह इस्माइल खां का पुलिस बयान

ब. बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
	——	——

स. भौतिक वस्तुएं

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
	——	——

:: निर्णय :: **दिनांक— 29.06.2026**

1. प्रकरण का उद्भव परिवादिया लाछी देवी द्वारा दिनांक 22.10.2020 को पुलिस थाना सरवाना में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 183/2020 से हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया लाछी देवी, ओमप्रकाश पुत्र पीराराम की विवाहिता पत्नी है। ओमप्रकाश के साथ प्रार्थिया की शादी करीबन तीन वर्ष पूर्व मौजा ग्राम बेड़िया प्रार्थिया के पिता के घर पर हुई थी। प्रार्थिया व ओमप्रकाश के दांपत्य से कैलाश नामक दो वर्षीय बेटा है। प्रार्थिया की शादी के समय प्रार्थिया के पिता भीयाराम पुत्र रावताराम, निवासी बेडिया ने अपनी आर्थिक हैसियत मुताबिक प्रार्थिया को एक तिजोरी, एक पलंग मय गद्दा बिस्तर तथा घर बिकरी के बर्तन—वासन, प्रार्थिया के पति को आधा तोला सोने की बीटी लूंग, प्रार्थिया को एक सोने की कंठी, कानों की सोने की कुड़कियां कुल लगभग 4 तोला

WEB COPY NOT OFFICIAL

सोना कन्यादान के रूप में दिया था, परंतु इससे प्रार्थिया के ससुर पीराराम पुत्र भूराराम, निवासी बेड़िया, प्रार्थिया की सासू श्रीमती बनु देवी, प्रार्थिया की ननंदें संतुष्ट नहीं हुये तथा शादी के बाद में ससुराल गई तो प्रार्थिया की सास–ससुर व ननदों ने बाप के घर से कम दहेज लाने के ताने मारने शुरू कर और दहेज की मांग करते हुए प्रार्थिया को तंग–परेशान व प्रताड़ित करने लगे। ससुराल में ये लोग प्रार्थिया से झगड़ने लगे। प्रार्थिया का ससुर कहने लगा कि प्रार्थिया के एक ही बेटा है या तो और दहेज ला नहीं तो जो दिया है, उसे वापिस ले जाओ। प्रार्थिया के पिता की आर्थिक हालत कमजोर होने से प्रार्थिया अपने सास–ससुर द्वारा की जा रही दहेज की पूर्ति नहीं कर सकी। अभियुक्तगण ने प्रार्थिया को दहेज हेतु प्रताड़ित करना जारी रखा, तब प्रार्थिया ने अपने परिजनों व समाज के मौजिज लोगों को उसे दहेज हेतु प्रताड़ित करने की घटना की सूचना देकर समाधान करने को कहा, तब प्रार्थिया के मां–बाप ने समाज के कुछ मौजिज लोगों को प्रार्थिया के ससुराल ले जाकर प्रार्थिया के सास–ससुर को ओलबा दिलाकर समझाने की कोशिश की, परंतु अभियुक्तों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक से लगभग तीन–चार माह पूर्व का जिक्र है कि प्रार्थिया के सास–ससुर व ननदों को ओलभा देकर प्रार्थिया के परिजनों द्वारा समझाने की कोशिश करने से नाराज होकर उनके जाने के बाद पीछे से प्रार्थिया के ससुर पीराराम, सासु बनुदेवी व ननदें सरोज, दिव्या, डिंपल, मनोज कुमारी पुत्रियां पीराराम ने मिलकर प्रार्थिया के साथ झगड़ा किया। प्रार्थिया के पिता द्वारा शादी के समय दिया कन्यादान का पलंग बिस्तर, बर्तन, तिजोरी घर से बाहर फेंक दिया व प्रार्थिया को घर से निकाल दिया। प्रार्थिया के पति पर प्रार्थिया को छोड़ने का दबाव बनाया। प्रार्थिया के ससुर ने कहा ओमा तू इसको छोड़ दे मैं इससे रूपाली दूसरी औरत लाऊंगा। प्रार्थिया का पति दबाव में नहीं आया व कहा कि यह बीए बी.एस.टी.सी पढ़ीलिखी है वह खुद बी.ए. बी.एड. कर रहा हूं, वह ऐसा नहीं करेगा। प्रार्थिया के पति ओमप्रकाश दबाव में नहीं आने पर प्रार्थिया के साथ प्रार्थिया के पति को भी घर से निकाल दिया, तब प्रार्थिया के पिता भीयाराम, प्रार्थिया के पिता के मामा बेटा भाई व प्रार्थिया के बड़े पिता गोरखाराम पुत्र चेतनजी साकिन बेडिया सूचना मिलने पर प्रार्थिया के ससुराल आये। मुलजिमानों को ओलभा दिया तो वे उलटे झगड़े पर उतारू हो गये, तब प्रार्थिया व उन्होंने मिलकर घर से बाहर फेंका सामान घर के पिछवाड़े बने झोपड़े में रखा। एक भैंस प्रार्थिया के पिता ने दिलवाई व थक–हारकर अलग रहने लगी। प्रार्थिया एक प्राइवेट स्कूल चलाकर गुजारा कर रही है। काविड–19 के कारण स्कूल भी बंद है। अभी प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति के खाते में स्कूल की अनुदान राशि आई है वो भी प्रार्थिया के सास–ससुर ननदें हड़पकर रखना चाहते हैं। इस अनुदान की राशि की मांग को लेकर भी प्रार्थिया व उसके पति के साथ प्रार्थिया के सास–ससुर, ननदें अलग होने के बावजूद झगड़ने लगे। दिनांक 19.11.2020 को प्रार्थिया के पति के खाते में आये राशि की मांग को लेकर सुबह जल्दी प्रार्थिया के ससुर पीराराम ने प्रार्थिया को मारपीट की धमकी दी। प्रार्थिया की सासु वनु देवी व ननदां को षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थिया के साथ झगड़ा व मारपीट करने के लिये उकसाया। दिन के लगभग 10:00 बजे प्रार्थिया अपने घर मौजा वेडिया से ट्रोला पर दूध देने जा रही थी कि प्रार्थिया के ससुर के उकसावे पर अनुदान की राशि की मांग को लेकर प्रार्थिया की सासु वनु देवी, ननदें सरोज, दिव्या, डिंपल, मनोज कुमारी पुत्रियां पीराराम हाथों में केबल के तारों को लेकर एकराय होकर सभी नाजायज मजमा बनाकर मेरे आडे फिरी व मेरा रास्ता रोककर प्रार्थिया को मां–बहिन की गालियां देते हुये अनुदान की राशि 1,55,000 रुपये (एक लाख पचपन हजार) की मांग करते

हुए सभी प्रार्थिया के बाथे हो गई तथा प्रार्थिया की सास वनुदेवी ने प्रार्थिया की चोटी पकड़ घसीटते हुए नीचे पटक दिया तथा फिर सभी ने मिलकर प्रार्थिया के साथ हाथ–हाथ लंबे केबल के तार के टुकड़ों से प्रार्थिया के सिर पर, पैरों पर, हाथों पर, पीठ पर मारपीट कर चोट पहुंचाई। प्रार्थिया की सास व ननदों ने प्रार्थिया को थापों–मुक्कों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। प्रार्थिया के बड़े पिता ठाकराराम पुत्र आईदान व गारखाराम पुत्र चेतनजी, साकीनान वेडिया मार्ग जाते हुए प्रार्थिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर आये व बीच–बचाव कर प्रार्थिया को छुड़ाया। आपसी घर का मामला होने से प्रार्थिया के पिता व गांव के मौजिज लोगों ने अभियुक्तों को ओलभा दिया व मानने के विश्वास से इंतजार किया.............इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाना में अभियोग संख्या 183/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 341, 327, 323, 143/34 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त वनु देवी व अन्य के विरुद्ध धारा 498ए, 341 व 323/34 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 24.04.2025 को अभियुक्ता वनु देवी व दिव्या को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 341 व 323/34 भादस तथा दिनांक 02.06.2025 को अभियुक्ता सरोज को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 341 व 323/34 भादस का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान् को परीक्षित करवाया गया तथा उपर्युक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई।

5. इस स्तर पर पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323/34 भादसं. में राजीनामा हो जाने से राजीनामा व राजीनामा अनुज्ञा प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिस पर अभियुक्तगण वनु देवी व अन्य को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323/34 भा.द.सं. के आरोप से जरिये राजीनामा तस्दीक किया गया। दिनांक 14.10.2025 की आदेशिकानुसार अभियुक्तगण को 341, 323/34 भा.द.सं. के आरोप से जरिये राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त घोषित कर दिया गया था। अतः अब अभियुक्तगण पर मात्र अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विचारणीय है।

6. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता में लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्तगण ने साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठे फंसाए जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

7. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उचित निर्णय किया जाये।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गवाहान् के बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक सम्पुष्टि का अभाव है। अतः

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभियुक्तगण को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे।

9. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नांकित अवधार्य प्रश्न विचारणीय है:–

> **1. ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.11.2020 को दिन के करीबन 10 बजे अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थिया श्रीमती लाछी देवी के रिश्तेदार होते हुए प्रार्थिया के विवाह के पश्चात् समय–समय पर सरहद मौजा वेडिया में प्रार्थिया के साथ दहेज के लिए अमानवीय व्यवहार कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तंग–परेशान कर क्रूरता कारित की।**
>
> **2. यदि हां, तो अभियुक्तगण का उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?**

10. उक्त विचारणीय बिंदु पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.10.2025 को गवाह लाछी देवी पी.डब्ल्यू. 01 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 8 साल पहले गवाह की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ओमप्रकाश के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के समय गवाह के माता–पिता ने अपनी हैसियत अनुसार गवाह को उपहार स्वरूप सोने–चांदी के जेवरात व घर–गृहस्थी का सामान दिया था। शादी के पश्चात् गवाह अपने ससुराल आती–जाती रही। गवाह के दाम्पत्य जीवन से दो बच्चे हैं। बड़े बच्चे का नाम कैलाश व छोटे बच्चे का नाम अनन्या है। शादी के पश्चात् गवाह को उसके पति घरेलू कामकाज को लेकर बोल–चाल करता था। गवाह से उसके पति व ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग–परेशान नहीं किया, न ही गवाह के साथ दहेज के लिये मारपीट की। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रही तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारती है कि गवाहा का अपने पति ओमप्रकाश के साथ सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है। दौराने जिरह गवाह कथन करती है कि प्रदर्श पी 1 में पुलिस ने क्या लिखा–पढ़ी की थी, गवाह को जानकारी नहीं है। गवाह वेडिया में रहती है। गवाह की सास वनु देवी व ननद सरोज गांव कलजी की बेरी में रहती है। कलजी की बेरी व वेडिया के बीच 2 किलोमीटर की दूरी है। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारती है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 गवाह के पिता भीयाराम लिखाकर लाए थे, गवाह ने हस्ताक्षर किए थे।

11. दिनांक 14.10.2025 को गवाह ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 02 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 8 साल पहले गवाह की शादी लाछीदेवी के साथ हुई थी। शादी के पश्चात् लाछी देवी गवाह के साथ उसके घर ग्राम वेडीया रही। गवाह के दांम्पत्य जीवन से दो बच्चे है। लाछी को गवाह ने व उसकी माता ने घरेलू कामकाज के लिए बोला था। लाछी को गवाह की माता ने और उसकी बहनों न कभी दहेज के लिए परेशान नहीं किया, न ही मारपीट की। गवाह की पत्नी ने आगोश में आकर गवाह की माता व बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि पक्षकारों का आपस में सामाजिक

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्तर पर राजीनामा हो गया है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि गवाह व उसकी पत्नी शादी के बाद गांव वेडिया में रहते हैं तथा गवाह की माता वनु देवी बहिन सरोज व दिव्या गांव कलजी की बेरी में रहते हैं। दोनों घरों के बीच करीब तीन किलोमीटर की दूरी है।

12. दिनांक 12.12.2025 को गवाह धनाराम पी.डब्ल्यू. 03 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 7–8 साल पहले गवाह के भाई पीराराम के पुत्र ओमप्रकाश की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम वेडिया में लाछीदेवी के साथ हुयी थी। शादी के बाद लाछी उसके ससुराल आती जाती रही। लाछी, वनु, सरोज व दिव्या के घरेलू कामकाज को लेकर बोलचाल होती थी। लाछी को उसकी सास व ननदों ने दहेज के लिये कभी तंग परेशान नहीं किया, न ही लाछी के साथ कभी मारपीट की। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि लाछी देवी का वनु देवी, सरोज व दिव्या के साथ आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है।

13. दिनांक 12.12.2025 को गवाह भीयाराम पी.डब्ल्यू. 04 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 7–8 साल पहले गवाह की पुत्री की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम वेडिया में ओमप्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद गवाह की पुत्री अपने ससुराल आती–जाती रही। ससुराल में लाछी की सास वनु, ननद सरोज व दिव्या लाछी को घरेलू कामकाज को लेकर बोलती थी। लाछी को उसकी सास व नन्दों ने दहेज के लिये कभी तंग परेशान नही किया। गवाह की पुत्री ने आवेश में आकर उसकी सास व ननदों के विरूद्ध रिपोर्ट दी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि लाछी देवी का वनु देवी, सरोज व दिव्या के साथ आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है।

14. दिनांक 12.12.2025 को गवाह ठाकराराम पी.डब्ल्यू. 05 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 7–8 साल पहले गवाह की भतीजी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम वेडिया में ओमप्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद गवाह की भतीजी उसके ससुराल आती जाती रही। ससुराल में लाछी की सास वनु, ननद सरोज व दिव्या लाछी को घरेलू कामकाज को लेकर बोलती थी। गवाह की भतीजी को उसकी सास व ननदों ने दहेज के लिये कभी तंग–परेशान नहीं किया। गवाह की भतीजी ने आवेश में आकर उसकी सास व ननदों के विरूद्ध रिपोर्ट दी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घ ोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि लाछी देवी का वनु देवी, सरोज व दिव्या के साथ आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है।

15. दिनांक 12.12.2025 को गवाहान् गोरखाराम, मुदिर खां, रेहमद खां व इस्माइल खां क्रमशः पी.डब्ल्यू. 06, 07, 08 व 10 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 7–8 साल पहले लाछी देवी की शादी ओमप्रकाश के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम वेडिया में ओमप्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद लाछी उसके ससुराल आती–जाती रही। ससुराल में

लाछी की सास वनु, ननद सरोज व दिव्या लाछी देवी को घरेलू कामकाज को लेकर बोलती थी, जो बात गवाह ने लाछी से जब पीहर आती थी, तब सुनी थी। गवाह ने लाछी से उसकी सास वनु, सरोज व दिव्या द्वारा दहेज के लिए तंग परेशान करने कि बात नही सुनी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि लाछी देवी का वनु देवी, सरोज व दिव्या के साथ आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है।

16. दिनांक 12.12.2025 को गवाह हुकमाराम पी.डब्ल्यू. 09 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन किए हैं कि आज से करीब 7–8 साल पहले गवाह के ताउ के लड़के ओमप्रकाश की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम वेडिया में लाछी के साथ हुई थी। शादी के बाद लाछी अपने ससुराल आती–जाती रही। ससुराल में लाछी की सास वनु, ननद सरोज व दिव्या लाछी को घरेलु कामकाज को लेकर बोलती थी, जो बात गवाह ने अपने ताउ व घर वालों से सुनी थी। गवाह ने लाछी को उसकी सास वनु, सरोज व दिव्या द्वारा दहेज के लिए तंग–परेशान करने कि बात नहीं सुनी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकारता है कि लाछी देवी का वनु देवी, सरोज व दिव्या के साथ आपस में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है।

17. भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक शाश्वत एवं अक्षुण्ण सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक कृत्य के अभियोग में अभियुक्त की दोषसिद्धि का संपूर्ण भार पूर्णतः अभियोजन पक्ष पर प्रतिस्थापित होता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। जब किसी दांडिक विचारण के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के समस्त मुख्य साक्षी अथवा चक्षुदर्शी साक्षी अपने पूर्व बयानों से विमुख होकर पक्षद्रोही हो जाते हैं तो अभियोजन के कथानक की वैधानिक नींव पूर्णतः ध्वस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की दोषमुक्ति के अतिरिक्त कोई विधिक विकल्प शेष नहीं रह जाता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (अब ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180'') के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन विधिक रूप से ''सारवान साक्ष्य'' की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन बयानों का एकमात्र वैधानिक उद्देश्य विचारण के समय साक्षियों के न्यायालयीन कथनों का खंडन करना अथवा उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण करना मात्र है। यदि कोई साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण में घटना के घटित होने या अभियुक्त की संलिप्तता से पूर्णतः इनकार कर देता है तो पुलिस के समक्ष दिए गए उसके पूर्व बयानों के आधार पर दोषसिद्धि की प्राचीर खड़ी नहीं की जा सकती। केवल पुलिस डायरी के कथनों को साक्ष्य मानकर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 (अब ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 158'') के अंतर्गत जब किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र के अनुसार उसका संपूर्ण साक्ष्य स्वतः विलोपित या शून्य नहीं माना जाता। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह पक्षद्रोही साक्षी के बयान से ''असार तत्वों से सत्य का पृथक्करण करे। यदि साक्षी के बयान का कोई अंश अभियोजन के कथानक की संपुष्टि करता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। परंतु, यदि समस्त साक्षी घटना की मूल विषय–वस्तु, समय, स्थान और

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभियुक्त की पहचान को ही सिरे से खारिज कर देते हैं, तो न्यायालय के पास सत्य की खोज के लिए कोई तार्किक आधार शेष नहीं बचता। जब अभियोजन के साक्षी पक्षद्रोही हो जाते हैं, तो साक्ष्य की कड़ियां बिखर जाती हैं और कड़ियों की यह श्रृंखला खंडित हो जाती है। **आपराधिक न्यायशास्त्र का स्वर्णिम सूत्र :– "भले ही सौ गुनहगार छूट जाएं, परंतु एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए।"** साक्षियों के विरोधाभासी एवं प्रतिकूल बयानों के कारण उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता अनिवार्य रूप से अभियुक्त के पक्ष में झुकेगी। न्यायालय केवल संशय, अनुमान, या नैतिक दृढ़ता के आधार पर किसी को दंडित नहीं कर सकता। **"संशय कितना भी गहरा क्यों न हो, वह वैधानिक साक्ष्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।"** फलस्वरूप, अभियुक्त को "संदेह का लाभ" प्रदान करते हुए ससम्मान दोषमुक्त करना न्यायालय का विधिक एवं संवैधानिक कर्तव्य हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अद्यतन निर्णयों में विचारण न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि साक्षियों के सामूहिक रूप से पक्षद्रोही होने की स्थिति में दोषमुक्ति का निर्णय किस प्रकार न्यायसंगत है :–

1. **<u>तलारी नरेश बनाम तेलंगाना राज्य (2026 INSC)</u> :–** यदि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का उपयोग दोषसिद्धि के लिए किया जा सकता है, तो इसके विपरीत उसका उपयोग दोषमुक्ति के लिए भी समान रूप से वैध है। यदि साक्षी का न्यायालयीन कथन अभियुक्त की निरपराधता या अभियोजन की दुर्भावना को दर्शाता है, तो वह दोषमुक्ति का सबसे सुदृढ़ आधार बनता है।
2. **<u>जयंतीभाई चतुर्भुजभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2025 INSC)</u> :–** प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक संपुष्टिपरक दस्तावेज है। यदि मुख्य शिकायतकर्ता और चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय में आकर अपने आरोपों को पूरी तरह नकार देते हैं, तो मात्र एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को कारावास नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय को यह पूर्वाग्रह नहीं पालना चाहिए कि साक्षी को अनिवार्य रूप से डराया या खरीदा गया है, जब तक कि उसका कोई पुख्ता प्रमाण न हो।
3. **<u>दादा अंकुश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025 INSC)</u> :–** विचारण न्यायालयों को पक्षद्रोही साक्षियों के उन कथनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो बचाव पक्ष के तर्क का समर्थन करते हैं। यदि साक्षियों के मुकरने से घटना का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है तो अभियोजन का मामला स्वतः समाप्त माना जाएगा और अभियुक्त दोषमुक्ति का पूर्ण अधिकारी होगा।

18. निष्कर्षतः आपराधिक विचारण में साक्षियों का पक्षद्रोही होना अभियोजन पक्ष के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जब तक कि मामले में कोई अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे कि **"डीएनए रिपोर्ट, उंगलियों के निशान या अचूक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य"** उपलब्ध न हो, जो स्वतंत्र रूप से अपराध की श्रृंखला को पूर्ण करते हों, तब तक केवल मौखिक साक्षियों के मुकर जाने पर दोषसिद्धि असम्भव और पूर्णतः अवैधानिक है। अतः न्याय के सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखने हेतु, विधिक तार्किकता और न्यायशास्त्रीय मर्यादा की मांग यही है कि समस्त साक्षियों के पक्षद्रोही होने की दशा में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

19. हस्तगत प्रकरण में जब मुख्य परिवादी समेत सभी अभियोजन गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं एवं अभियोजन पक्ष की कहानी का कतई समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई भी इस प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियोजन की कहानी को किसी भी प्रकार का कोई बल मिले। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

20. अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के

विस्तृत मुल्यांकन के आधार पर न्यायालय की विमर्शित राय में अभियोजन पक्ष विरुद्ध अभियुक्तगण संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.11.2020 को दिन के करीबन 10 बजे अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थिया श्रीमती लाछी देवी के रिश्तेदार होते हुए प्रार्थिया के विवाह के पश्चात् समय–समय पर सरहद मौजा वेडिया में प्रार्थिया के साथ दहेज के लिए अमानवीय व्यवहार कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तंग–परेशान कर क्रूरता कारित की एवं इस प्रकार धारा 498ए/34 भारतीय दंड संहिता का अपराध कारित किया। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

21. अतः अभियुक्तगण **वनु देवी पत्नी पीराराम, सरोज पुत्री पीराराम तथा दिव्या पुत्री पीराराम, निवासीगण वेडिया, पीएस सरवाना, जिला जालोर** को उनके विरुद्ध आरोपित **अपराध अन्तर्गत धारा 498ए/34 भारतीय दंड संहिता** के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। दिनांक 14.10.2025 को अभियुक्तगण को 341 व 323/34 के आरोपों से पहले ही जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. अभियुक्तगण धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत करें कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वह स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

23. प्रकरण में यदि कोई सम्पत्ति जब्त हो तो नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(नवीन यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर, जिला जालोर

24. निर्णय आज दिनांक **29.06.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(नवीन यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सांचौर, जिला जालोर

नोट :– 01. निर्णय/आदेश की यह प्रति मात्र अधिवक्ता/पक्षकारों के पढ़ने के उद्देश्य से अपलोड की गई है। 02. सभी विधिक प्रयोजन हेतु निर्णय/आदेश की सत्यप्रति सामान्य (सिविल एवं दाण्डिक) नियम, 2018 के प्रावधानुसार न्यायालय से प्राप्त की जावें।